झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग) 34 रा० (विभाग)

सं0सं0–म0नि0–III–उ0यो0वि0–144/2018–19/ /मत्स्य, राँची, दिनांक 27/02/2020

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय– केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्र प्रायोजित योजना ब्लू रेभोल्यूशन योजनांतर्गत मत्स्य विपणन हेतु आईस बॉक्स के साथ ऑटो रिक्शा के लिए मो0 8.00 लाख (आठ लाख) रु0 मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए स्वीकृत एवं वर्ष 2019–20 में पुनर्वैधिकृत की गई राशि से केन्द्र प्रायोजित ब्लू रेभोल्यूशन योजना अंतर्गत मो0 8.00 लाख (आठ लाख) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर मत्स्य विपणन हेतु आईस बॉक्स के साथ ऑटो रिक्शा के लिए राज्य सरकार द्वारा योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 31013/30/2016–fy (3) दिनांक 30.08.2018 द्वारा राज्य में मत्स्य विपणन हेतु दस यूनिट आईस बॉक्स के साथ ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराने हेतु योजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 31013/30/2016–fy (3) दिनांक 30.08.2018 द्वारा प्रथम चरण में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश मद की मो0 205.395 लाख रू0 विमुक्त किये गये हैं। साथ ही भारत सरकार के पत्रांक F.No. J-18001/1/2017-Fy दिनांक 25.04.2019 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु राशि पुनर्वैधिकृत की गई है। इसमें आइस बॉक्स के साथ ऑटो रिक्शा की इकाई लागत भारत सरकार द्वारा मो0 2.00 लाख रू0 मात्र निर्धारित है जिसमें केन्द्र सरकार का अनुदान मो0 0.48 लाख रू0, राज्य सरकार से मो0 0.32 लाख रू0 तथा लाभुक का अंशदान मो0 1.20 लाख रू0 होगा।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट शीर्ष 2405–मछली पालन अंतर्गत स्वीकृत बजट उपबंध में निम्न प्रकार राशि के व्यय की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए योजना उद्व्यय उपलब्ध है :–

(राशि लाख रू० में)

क्रमांक	माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष, मद एवं विपत्र कोड	मूल बजट उपबंध	प्रथम चरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	वर्तमान स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन				
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53 C 240500101620323	358.50	355.006	2.40	1.094
2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (केन्द्रांश) 53 C 240500101620759	9.30	2.264	0.00	7.036
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (राज्यांश) 53 S 240500101620323	358.50	355.006	1.60	1.894
4	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53 S 240500101620759	9.30	2.264	0.00	7.036
5	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53 C 240500789620323	79.50	79.50	0.00	0.00
6	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (राज्यांश) 53 S 240500789620323	79.50	79.50	0.00	0.00
7	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना- विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53 C 240500796620323	352.50	261.00	2.40	89.10
8	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना- विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (केन्द्रांश) 53 C 240500796620759	8.10	1.415	0.00	6.685
9	लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (राज्यांश) 53 S 240500796620323	352.50	261.00	1.60	89.90
10	लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53 S 240500796620759	8.10	1.415	0.00	6.685
	कुल योग:	1615.80	1398.370	8.00	209.43

(आठ लाख) रू० मात्र।

4. इस योजना में शहरी क्षेत्रों में मछली बेचने वाले मत्स्य विक्रेताओं को हाईजेनिक कंडिशन में मछलियों के विपणन/परिवहन इकाई हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान पर आईस बॉक्स के साथ ऑटो रिक्शा दिया जाएगा।

5. निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तर पर मत्स्य विपणन योजनांतर्गत गठित कमिटि द्वारा उपयुक्त मॉडल की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार इस योजना के तहत् अनुदान पर दिए जाने वाले आईस बॉक्स के साथ ऑटो रिक्शा के दर में एकरूपता के लिए दर का निर्धारण निदेशक, मत्स्य के द्वारा नियमानुसार "इच्छा की अभिव्यक्ति" के माध्यम से किया जाएगा। निर्धारित दर के आलोक में पूरे राज्य में क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।

6. मत्स्य विक्रेताओं को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन/परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा एवं आईस बॉक्स अनुदान पर दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा ब्लू रेभोल्यूशन योजना अंतर्गत निर्गत निदेशों के अनुरुप आईस बॉक्स के साथ ऑटो रिक्शा में लाभुक का न्यूनतम अंशदान 60 प्रतिशत तथा सरकार का अनुदान अधिकतम 40 प्रतिशत प्रति लाभुक होगा। अनुदान की राशि (40 प्रतिशत) में केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत होगा। विपणन/परिवहन हेतु अनुदान पर दिये जाने वाले सभी वाहनों के निबंधन एवं बीमा का व्यय भार लाभुक को स्वयं वहन करना होगा।

7. सुयोग्य लाभुकों के चयन एवं योजना की Feasibility की पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. आईस बॉक्स के साथ ऑटो रिक्शा हेतु लाभुकों का चयन जिला स्तर पर मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगें –

(i) जिला मत्स्य पदाधिकारी – सह – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी
(ii) जिला पशुपालन पदाधिकारी
(iii) जिला गव्य विकास पदाधिकारी
(iv) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
(v) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु प्रगतिशील मत्स्य पालकों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
(vi) जिले के वरीयतम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक – सदस्य सचिव

लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो। संबन्धित जिले के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदित किया जायेगा कि आवेदक मत्स्य बिक्री अथवा थोक व्यापार से जुड़ा है तथा अपने अंशदान की राशि लगाने में सक्षम है। साथ ही चयनित लाभुकों की सूची पर संबंधित जिले के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

9. जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अपने जिले के लिये इस योजना के लाभुकों की पंजी संधारित कर उसमें दर्ज लाभुक के क्रमांक एवं विभाग तथा योजना का नाम को ऑटो रिक्शा तथा आईस बॉक्स पर दर्ज कराया जायेगा। नगर–निगम/नगर–पालिका/जिला परिवहन कार्यालय से वाहन का निबंधन कराने एवं निर्धारित कर/शुल्क जमा करने की जिम्मेवारी लाभुक की होगी। निबंधन कर आदि का भुगतान लाभुक द्वारा किया जायेगा।

10. जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट 'I' के रुप में संलग्न है। जिलावार भौतिक लक्ष्यों में आंशिक परिवर्तन निदेशक मत्स्य के प्रस्ताव पर विभागीय सचिव द्वारा किया जा सकेगा।

(426)

11. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉंची/गुमला/दुमका/हजारीबाग/चतरा/धनबाद/बोकारो तथा देवघर होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न परिशिष्ट–I के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

12. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

13. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018–19 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जाएगा।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0 –01–2005–302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

16. यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें अनुदान की राशि में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। इस योजना का कार्यान्वयन केन्द्र प्रायोजित – ब्लू रेभोल्यूशन योजना से ही किया जाएगा तथा किसी अन्य योजना से इसका कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

17. वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना में राज्यांश एवं केन्द्रांश मिलाकर (केज कल्चर एवं आर0एफ0एफ0 अधिष्ठापन हेतु पुनर्वैधिकृत राशि, निजी क्षेत्र में आर0ए0एस0 निर्माण हेतु पुनर्वैधिकृत राशि तथा नए खुदरा मत्स्य बाजार निर्माण हेतु विमुक्त राशि सहित) कुल मो0 729.542 लाख रु0 मात्र व्यय हुए हैं। नए खुदरा मत्स्य बाजार निर्माण हेतु राशि पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से देवघर तथा जमशेदपुर जिले के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई गई है। राशि का समायोजन लंबित नहीं है। इस योजना का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्रांक 1849 दिनांक 21.08.2019 द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित है।

18. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में अग्रिम निकासी नहीं की गई है। दो मछली बाजारों के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमशेदपुर तथा देवघर को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई है।

19. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्त्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. स्वीकृत राशि हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 34 रा० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक 27/02/2020

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 34 रा० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक 27/02/2020

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) तथा सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 34 रा० (विभाग) मत्स्य / रॉची, दिनांक 27/02/2020

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित योजना–सह–वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, रॉची/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त/ माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट–।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्र प्रायोजित ब्लू रिभोल्यूशन योजना का भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय (लाख रू0 में) लक्ष्य

मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष –62–नई योजना–ब्लू रेभोल्यूशन योजना

क0	जिला	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना				लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन				केन्द्रांश से कुल व्यय	राज्य योजना से कुल व्यय
		आपूर्ति एवं सामग्री – आईस बॉक्स के साथ ऑटो रिक्शा		केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री – आईस बॉक्स के साथ ऑटो रिक्शा		केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय		
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राँची	2	1.600	0.960	0.640	0	0.000	0.000	0.000	**0.960**	**0.640**
2	गुमला	1	0.800	0.480	0.320	0	0.000	0.000	0.000	**0.480**	**0.320**
3	दुमका	2	1.600	0.960	0.640	0	0.000	0.000	0.000	**0.960**	**0.640**
4	हजारीबाग	0	0.000	0.000	0.000	1	0.800	0.480	0.320	**0.480**	**0.320**
5	चतरा	0	0.000	0.000	0.000	1	0.800	0.480	0.320	**0.480**	**0.320**
6	बोकारो	0	0.000	0.000	0.000	1	0.800	0.480	0.320	**0.480**	**0.320**
7	धनबाद	0	0.000	0.000	0.000	1	0.800	0.480	0.320	**0.480**	**0.320**
8	देवघर	0	0.000	0.000	0.000	1	0.800	0.480	0.320	**0.480**	**0.320**
कुल योगः		**5**	**4.000**	**2.400**	**1.600**	**5**	**4.000**	**2.400**	**1.600**	**4.800**	**3.200**

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

3452 (विभाग)
27/02/2020